II

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं- : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-23/2014 18 /पटना, दिनांक 13/01/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय : **बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 और बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 में हुए संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में किए गए आरक्षण को लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यस्तरीय बैठक में इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 और बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 में हुए संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में किये गए आरक्षण को लागू करने के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक-4992 दिनांक 01.11.2013 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को छोड़कर, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा एतदर्थ अपवर्जित करें, समितियों के बोर्ड में पदधारियों सहित निदेशकों की संख्या न्यूनतम 12 (बारह) किये जाने हेतु समितियों की उपविधियों में अभियान चलाकर संशोधन किया जाय। यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त के अनुसार उपविधियों में संशोधन नहीं हो पाया है।

अतः अनुरोध है कि अभियान चलाकर उपविधियों में संशोधन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

12.1.17

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

BSEA dt 12.01.2017